

## किरायानामा विलेख

नाम मकान मालिक— श्री विजय जैन आत्मज स्व. श्री अमृतलाल जैन आयु वयरक निवासी—बी—66, संगम कॉलोनी पदमनाभ नगर, गौविंदपुरा हुजूर भोपाल म0प्र0

आधार कमांक- 970169751800 (प्रथम पक्षकार)



श्री देवेश कुमार आत्मज श्री अजय कुमार, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी—नया टोला (ईस्ट साईड) कोर्ट एरिया, वार्ड नंबर 30,लखीसराय (बिहार)

आधार क्रमांक-683828773923 (द्वितीय पक्षकार)

एक किता फ्लेट नंबर 404, डी-2, 237, दानिश नगर, होशंगाबाद रोड भोपाल म.प्र. में रिथत है जिसका ONE B.H.K. भाग जिसमें एक बेडरूम, एक हाल एवं किचिन लेटबाथ किराये पर दिया जा रहा है।

12,000 / —( बारह हजार रूपये) किराया प्रतिमाह आपसी सहमति से तय किया है जिसमें बिजली का व्यय शामिल नहीं है जो कि किरायेदार किरिग्ये की राशि के अलावा अदा किया जावेगा एवं किराया की राशि प्रत्येक माह अग्रिम तौर पर देय होगी। एवं रिड्र 12 (100 / - 23 माल अ) एंडवा (न व) बि। जी प्राप्ता की गर्ड व)

किराया राशि--

अन्य विवरण

- यह कि उक्त किराये पर दी जा रही संपत्ति जो कि प्रथम पक्षकार मकान मालिक के आधिपत्य, स्वत्व एवं स्वामित्व का है जिसे वह द्वितीय पक्षकार को दिनांक.....से 11 माह तक के लिये किराये पर दिया जा रहा है। किराया द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से अदा करेगा।
- 2— यह कि किरायेदारी मात्र 11 माह के लिए निष्पादित की जा रही है व 11 माह के ख्वात किरायेदार बिना किसी हीला हवाले के उक्त संपत्ति को खाली कर उसका कब्जा खाली हालत में प्रथम पक्षकार को सौपने हेतु पाबंद रहेगा यदि प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के संबंध मधुर रहे तो उक्त किरायेदारी का नवीनीकरण किया जा सकता है, परन्तु उक्त किराये की राशि में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जावेगी।
- 3— यह कि किरायेदार किरायाधीन संपत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि विधि विधान के विपरीत हो एवं अन्यों को आपत्तिजनक हो यदि उक्त संपत्ति में ऐसा कोई कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसके लिये स्वयं किरायेदार जवाबदार रहेगा। प्रथम पक्षकार को यह विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि वह उक्त भवन का निरीक्षण कभी भी कर सकता है।